

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

आदेश संख्या-2ब०/वित्त आयोग-25-01/2017 5330 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक-11/8/17

आदेश

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में Performance Grant की प्राप्ति के लिए भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नया Guideline जारी किया गया है। सभी नगर निकायों से विहित प्रपत्र में सूचनाएँ एवं आँकड़े प्रत्येक वर्ष के 30 सितम्बर तक प्राप्त करना है तथा 30 अक्टूबर तक भारत सरकार को भेज देना है। इसके लिए एक Smart net नामक नया Website बनाया गया है, जिसपर आँकड़े तथा सूचनाएँ Upload करना है। नगर निकायों से प्राप्त आँकड़ों का सत्यापन भी राज्य सरकार को करना है।

2. उपरोक्त सभी कार्रवाई को ससमय पूर्ण करने तथा नगर निकायों से अनुश्रवण करने हेतु एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

| क्र० सं० | नाम | पदनाम | अध्यक्ष/सदस्य |
|----------|----------------------------|---|---------------|
| 1. | श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, | अपर सचिव-सह-निदेशक | अध्यक्ष |
| 2. | श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, | विशेष कार्य पदाधिकारी | सदस्य |
| 3. | श्री राजेश कुमार तिवारी, | प्रशाखा पदाधिकारी | सदस्य |
| 4. | श्री राहुल अग्रवाल | विशेषज्ञ, एस०के० पटौदिया एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट | सदस्य |
| 5. | श्री गौरव कुमार | MIS Expert- PMC-NULM | सदस्य |

3. समिति का यह दायित्व होगा कि भारत सरकार के नए दिशा निर्देशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 14वें वित्त आयोग के Performance Grant की प्राप्ति हेतु सभी शहरी स्थानीय निकायों से विहित प्रपत्र में सूचनाएँ एवं आँकड़े ससमय प्राप्ति हेतु प्रयास करेंगे तथा प्राप्त आँकड़ों का नियमानुसार सत्यापन कर भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को ससमय भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/वित्त आयोग-25-01/2017 5330

/न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक-11/8/17

प्रतिलिपि:- समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।